कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उत्तर प्रदेश।
17–न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ
Email-samiticamp@gmail.com

पत्रांक 116 /82/सी/समिति/लखनऊ:दिनांक 28 मई, 2018

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/
उप निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां।

कृपया दिनांक 14–05–2018 को सम्पन्न साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक में यह तथ्य अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि गन्ना विकास विभाग की कई सहकारी गन्ना विकास समितियाँ अपने–अपने क्षेत्र में विद्यालय/महाविद्यालय का स्वयं संचालन कर रहीं हैं अथ्वा उसके संचालन में योगदान कर रहीं हैं। इन विद्यालयों/महाविद्यालयों में गन्ना किसानों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है जिससे निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य सृजनात्मक कार्यो की ओर बढ़ रहा है।

वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा रोजगारपरक शिक्षा प्रदान किये जाने के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहें हैं एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान किए जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। गन्ना समितियों द्वारा संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऐसे रोजगारपरक विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनसे गन्ना किसानों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त गन्ने से जुड़ी संस्थाओं यथा चीनी मिल, कल–कारखानों, कृषि संस्थाओं, कार्यालयों आदि में रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो अथ्वा स्वयं रोजगार सृजन में अग्रणी रहें।

अतः प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऐसे रोजगारपरक विषयों को सम्मिलित कराकर गन्ना किसानों के बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कराने की दिशा में सार्थक प्रयास करायें ताकि गन्ना समितियों द्वारा संचालित संस्थाओं से गन्ना किसानों के बच्चे रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त करके नजदीकी संस्थाओं/कारखानों में रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा स्वयं रोजगार सृजन कर सकें। भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सामान्य निकाय के प्रस्ताव रोजगारपरक शिक्षा को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए पारित कराये जाये तथा तद्नुसार संस्तुति भेजी जाये।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उ.प्र.।

पत्रांक 116 /सी/82/समिति/लखनऊ/दिनांक 28, मई, 2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
4. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/सहायक निबन्धक, गन्ना समितियाँ।
5. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक।
6. समस्त सदस्य प्रबन्ध कमेटी, सहकारी गन्ना विकास समितियाँ द्वारा सम्बन्धित सचिव।
7. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियाँ।

28/5/18

(डा. वी.बी. सिंह)

संयुक्त गन्ना आयुक्त (समितियाँ)